मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार,एच.जे.एस.

पंजीकरण दिनाँक: निर्णय दिनाँक: अवधि:
28/11/13 09/12/20 7 वर्ष, 0 माह, 11 दिन

एम.ए.सी.पी. संख्या- ५७०/२०१३,

राजेन्द्र कुमार झा तनय स्व. महादेव प्रसाद झा आयु ५६ साल निवासी मकान नं. ३१३ नई बस्ती, झाँसी

--------याची

प्रति

१. राज कुमार परेचा तनय श्री ईश्वरदास परेचा मेसर्स गणेश ग्रेनाइट क्रेसिंग कं., ६९१ झाोकनबाग सिविल लाइन, झाँसी

.....मालिक गाड़ी डम्पर नं. यू.पी. ९३टी ४२४८

२. रामजी तनय तनय हरदास निवासी ग्राम डेली थाना रक्सा जिला झाँसी

.....ड्राईवर डम्पर नं. यू.पी. ९३ टी ४२४८

३. प्रबन्धक, एच.डी.एफ.सी. इरगो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, झाँसी

.....बीमाकर्ता डम्पर नं. यू.पी. ९३टी ४२४८ डम्पर नं. यू.पी. ९३टी ४२४८ पॉलिसी नं. २३१५०००/९२४०/४००००

४. हजारी प्रसाद दीक्षित तनय चिम्मन लाल दीक्षित निवासी पुलिस लाइन गायत्री कालोनी शिवपुरी, म.प्र.

.....मालिक ट्रक नं. एम.पी. ०९ एचजी ३७२५

५. घनश्याम शर्मा तनय वी.आर. शर्मा निवासी महाराणा प्रताप कॉलोनी शिवपुरी, म.प्र.

.....ड्राईवर ट्रक नं. एम.पी. ०९ एचजी ३७२५

६. प्रबन्धक, न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कं. लि. सिविल लाइन, झाँसी

.....बीमाकर्ता ट्रक नं. एम.पी. ०९एचजी ३७२५ पालिसी नं. ४५०६०२३१११०१०००००८००९

--------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री विवेक दुबे
विपक्षी सं. १ व २ के अधिवक्ता- श्री आर.पी. वाजपेयी
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री राज तिलक सक्सेना
विपक्षी सं. ४ के अधिवक्ता- पर्याप्त तामीला के बावजूद अनुपस्थित
विपक्षी सं. ५ के अधिवक्ता- श्री राजेन्द्र सिंह तोमर
विपक्षी सं. ६ के अधिवक्ता- श्री अरूण श्रीवास्तव

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा- १६६ व १४० के अन्तर्गत कथित मोटर दुर्घटना में स्वयं को आई चोटों के कारण ₹ २८,१५००० क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

२. संक्षेप में प्रकरण यह है कि दिनाँक २३.०३.२०१२ को याची झाँसी बस स्टैण्ड से पारीछा केविल पारीछा अपनी डियूटी करने के लिए डम्पर सं. यू.पी. ९३टी ४२४८ में ₹ १० किराया देकर बैठा था। उक्त डम्पर में गिट्टी लदी थी। याची के साथ एक अन्य व्यक्ति चन्द्रभान भी मोंठ जाने के लिए ₹ २० किराया देकर बैठा था रात्रि करीब १० बजे जब ट्रक पारीछा केबिन के पास पहुँचा तो याची ने ट्रक रोकने के लिए कहा तो ट्रक ड्राईवर ने तेजी व लापरवाही से ट्रक चलाकर एकाएक बीच सड़क पर ब्रेक लगाकर गाड़ी खड़ी कर दी, याची गेट खोलकर उतरने लगा, याची का एक पैर अन्दर था तथा एक पैर ट्रक के बाहर था तभी एक डम्पर नं. एम.पी. ०९एचजी ३७२५ ने खड़े ट्रक में पीछे से लापरवाही से चलाते हुये जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों डम्पर पलट गये और याची उक्त डम्पर के नीचे दब गया तथा अन्य व्यक्ति भी घायल हो गये। याची मेडिकल कांलेज झाँसी के बाद रेलवे चिकित्सालय, झाँसी में भर्ती हुआ जहां उसके बांये हाथ व बांये पैर का इलाज किया गया। याची के बांये पैर का तीन बार ऑपरेशन किया गया, प्लास्टर चढ़ाया गया है और याची ने दिनाँक २३.०३.२०१२ से १८.०२.२०१३ तक रेलवे अस्पताल, झाँसी में भर्ती रहकर इलाज कराया। याची दुर्घटना में आई चोटों के कारण वॉकर से चल पाता है। याची दुर्घटना होने से ११ माह तक बिस्तर पर रहा जिसमें उसका ११ माह के वेतन की करीब ₹ ४,००,००० की क्षति हुई। याची सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत था और उसका प्रमोशन होना शेष था। दुर्घटना होने से याची की तरक्की करने की सभी आशायें लुप्त हो गयीं एवं दूसरों के सहारे पर छोटे-छोटे कार्य में मदद लेना पड़ती हैं। दुर्घटना होने से याची पूर्ण रूप से विकलांग हो गया। यदि उक्त दुर्घटना न हुई होती तो याची स्टेशन मास्टर के

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.11 17:36:31 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

पद पर कार्यरत होता और वह ₹ ६०,००० प्रतिमाह वेतन पा रहा होता। याची की उम्र ५८ साल थी तथा उसकी मासिक आय शुद्ध वेतन ₹ १४,४६० व सम्पूर्ण वेतन ₹ ३५,००० था। प्रस्तुत दुर्घटना में अपराध सं. ६७/२०१२ धारा २७९, ३३७, ३०४ए भा.दं.सं. पंजीकृत किया गया।

३. विपक्षी सं. १ राज कुमार व विपक्षी सं. २ रामजी क्रमशः प्रश्नगत डम्पर सं. ९३टी ४२४८ के पंजीकृत स्वामी व चालक की ओर से ३७बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका में वर्णित दुर्घटना के तथ्यों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं, कि विपक्षीगण का प्रश्नगत वाहन कथित दुर्घटना के समय विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के यहाँ विधिवत रूप से बीमित था जिसमें डम्पर, तृतीय पक्ष, ड्राईवर एवं क्लीनर की मृत्यु होने अथवा चोट लगने पर क्षतिपूर्ति का दायित्व बीमा कम्पनी ने स्वीकार किया था। विपक्षी सं. २ के पास डम्पर चलाने का वैध एवं प्रभावी चालक लाइसेन्स था। उक्त दुर्घटना के समय डम्पर चालक डम्पर सं. एम.पी. ०९एचजी ३७२५ को तेजी व लापरवाही एवं सावधानी पूर्वक अनियंत्रित गति से चला रहा था और संतुलन खो देने के कारण उसने मिन विपक्षीगण के डम्पर सं. यू.पी. ९३टी ४२४८ में पीछे से जोरदार टक्कर मारी कि उनका डम्पर पलट कर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। विपक्षी सं. ४ ने दिनाँक २४.०३.२०१२ को थाना चिरगॉव, झाँसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध सं. ६७/२०१२ धारा २७९, ३३७, ३०४ए भा.दं.सं. विपक्षी सं. २ के विरूद्ध पंजीकृत दर्ज कराई थी जो कि पुलिस से मिलकर झूंठी दर्ज कराई थी। प्रश्नगत दुर्घटना के समय विपक्षीगण के प्रश्नगत डम्पर के सभी अभिलेख वैध व प्रभावी थे। यदि कोई गलती, तेजी व लापरवाही विपक्षी सं. २ की पाई जाती है तो क्षतिपूर्ति अदायगी का दायित्व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी की निर्धारित किया जाना चाहिए। विपक्षी को यह कानूनन मालूम है कि ट्रक में किसी भी व्यक्ति को किराये पर बैठाना गलत है तथा दुर्घटना होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति का दायित्व वाहन स्वामी का होता है। विपक्षी के डम्पर में दुर्घटना के समय कोई भी सवारी नहीं बैठीं थी और न ही कोई चुटेल हुआ था। याची ने फर्जी व झूठे आधारों पर याचिका दायर की है जो खारिज होने योग्य है।

४. विपक्षी सं. ३ एच.डी.एफ.सी. इरगो जनरल इंश्योरेंस कं. लि. की ओर से २९बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के तथ्यों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं, कि कथित दुर्घटना बीमाकृत वाहन सं. यू.पी. ९३टी ४२४८ की लापरवाही से नहीं हुई थी बल्कि उपरोक्त दुर्घटना ट्रक सं. एम.पी. ०९एचजी ३७२५ के चालक घनश्याम शर्मा की लापरवाही से बीमाकृत वाहन में पीछे से टक्कर मार देने के कारण घटित हुई थी। कथित दुर्घटना की क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व वाहन ट्रक सं. एम.पी. ०९एचजी ३७२५ के चालक व उसकी बीमा कम्पनी का है। याची के कथनानुसार कथित दुर्घटना में लिप्त वाहन डम्पर सं. यू.पी. ९३टी ४२४८ में वह किराया देकर बैठा हुआ था जिससे वाहन के चालक द्वारा परिवहन नियम व बीमा पालिसी की शर्तो का उल्लंघन कर याची व अन्य लोगों से किराया लेकर बैठा लिया तथा चालक वाहन स्वामी के निर्देशन पर वाहन चला रहा था, अतः क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व वाहन स्वामी व उसके चालक (विपक्षी सं. २ व ३) का है। डम्पर सं. यू.पी. ९३टी ४२४८ के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंन्स नहीं था। बीमा कम्पनी का दायित्व तभी बनता है जब बीमा संविदा की सभी शर्तों का पालन किया गया हो।

५. विपक्षी सं. ४ हजारी प्रसाद दीक्षित व विपक्षी सं ५ घनश्याम शर्मा प्रश्नगत ट्रक सं. ०९ एच जी ३७२५ के क्रमशः पंजीकृत स्वामी एवं चालक हैं। न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँकित २३.०९.२०१६ के अनुसार विपक्षी सं. ४ पर तामील पर्याप्त माना गया किन्तु उसने कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया तथा विपक्षी सं. ५ को पर्याप्त समय उपलब्ध कराये जाने के बावजूद उसने भी कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया अतः विपक्षी सं. ५ का जवाबदावा दाखिल करने का अवसर समाप्त किया गया।

६. विपक्षी सं. ६ ~~नेशनल~~ न्यू इंडिया इन्श्योरेन्स कं. लि. की ओर से २८बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि याची के कथनानुसार कथित दुर्घटना में लिप्त वाहन डम्पर सं. यू.पी. ९३टी ४२४८ के चालक द्वारा बिना कोई संकेत दिये बीच रोड पर डम्पर रोक देने के कारण घटित हुई है इस कारण यदि याची कोई क्षतिपूर्ति धनराशि पाने का अधिकारी पाया जाता है तो वह डम्पर सं. यू.पी. ९३टी ४२४८ के मालिक, चालक एवं उसकी बीमा कम्पनी से पाने का अधिकारी है। विपक्षी सं. ६ से याची कोई क्षतिपूर्ति धनराशि पाने का अधिकारी नहीं है। ट्रक सं. एम.पी. ०९एचजी ३७२५ के चालक विपक्षी सं. ५ के पास वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंन्स नहीं था। बीमा कम्पनी का दायित्व तभी बनता है जब बीमा संविदा की सभी शर्तों का पालन किया गया हो।

७. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक २४.१०.२०१ को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः-

१. क्या दिनाँक २३.०३.२०१२ को समय करीब १०:०० बजे रात पारीछा केबिन के पास थाना पारीक्षा में जब याची राजेन्द्र कुमार झा अपनी ड्यूटी करने के लिए डम्पर नं. यू.पी. ९३टी ४२४८ में ₹ १० किराया देकर बैठा था, उक्त डम्पर में गिट्टी लदी थी, तब याची ने पारीछा केबिन के पास ट्रक को रोकने के लिए कहा तो उक्त ट्रक ड्राईवर ने तेजी व लापरवाही से ट्रक चलाकर एकाएक बीच सड़क पर ट्रक के ब्रेक लगाकर ट्रक खड़ा कर दिया। याची गेट खोलकर उतरने लगा। याची का एक पैर ट्रक के अंदर था तथा एक पैर ट्रक के बाहर था तभी एक डम्पर नं. एम.पी. ०९एचजी ३७२५ ने खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे दोनों डम्पर पलट गये तथा याची उक्त डम्पर के नीचे दब गया तथा उसे गम्भीर चोटें आई ?

२. क्या दुर्घटना के समय डम्पर नं. ए.पी. ०९ एचजी ३७२५ चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था ?

३. क्या दुर्घटना के समय डम्पर नं. एम.पी. ०९एचजी ३७२५ न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. से बीमित था?

४. क्या याची विपक्षीगण से कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं,यदि हाँ तो कितनी व किस विपक्षी से ?

६. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैः-

याची की ओर से

अभिलेखीय साक्ष्य

१. याची द्वारा फेहरिस्त दस्तावेजी सबूत ७सी१ के माध्यम से ६ दस्तावेज जिनमें ३ किता तहरीर, आरोप पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट व नक्शा नजरी की सत्य प्रतिलिपियाँ शामिल हैं

मौखिक साक्ष्य

पी.डब्लू.१ याची राजेन्द्र कुमार झा उपहत

विपक्षीगण की ओर से

अभिलेखीय साक्ष्य

१. विपक्षी सं.१ व २ की ओर से सूची अभिलेखीय साक्ष्य ३८सी१ के माध्यम से ५ दस्तावेज यथा पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा कवर नोट एवं चालक लाइसेन्स, फिटनेस प्रमाणपत्र व परमिट की छाया प्रतियाँ शामिल हैं।

२. विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी द्वारा सूची अभिलेखीय साक्ष्य ७०सी१ के माध्यम से ७०सी१/२ बीमा पॉलिसी की प्रति

३. विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी द्वारा सूची अभिलेखीय साक्ष्य ८०सी१ के माध्यम से ८१सी२ लगायत ८३डी प्रपत्र जिनमें हजारी प्रसाद दीक्षित (विपक्षी सं. ४) को प्रेषित रजिस्ट्री लिफाफा व उसके नोटिस की प्रति व रजिस्ट्री रसीदें शामिल हैं।

मौखिक साक्ष्य

डी.डब्लू.१ अंकित मिश्रा मैनेजर तृतीय पार्टी क्लेम एच.डी.एफ.सी. इर्गो जनरल इंश्योरंस कं. लि. लखनऊ व डी.डब्लू.२ रामजी चालक डम्पर नं. ९३टी ४२४८

इसके अतिरिक्त **रिकॉर्ड कीपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उ. म. रे., झाँसी** द्वारा सूची अभिलेखीय साक्ष्य ६६से१ के माध्यम से याची राजेन्द्र कुमार की बी. एच. टी. की सत्यापित छाया प्रति ६७सी१/१ लगायत ६७सी१/५८ दाखिल की गई है।

८. मैंने वर्चुअल कोर्ट में उभय पक्ष की ओर उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

९. निस्तारण वाद बिन्दु सं. १

वाद बिन्दु सं. १ को साबित करने के लिये याची की ओर से ९सी१/२ थानाध्यक्ष चिरगाँव, झाँसी को दी गई तहरीर, १२सी१/२ प्रथम सूचना रिपोर्ट, १३सी१/२ नक्शा नजरी, ११सी१/२ आरोप पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.१ याची स्वयं जिसे कि दुर्घटना में चोटें आयी हैं, को परीक्षित कराया गया है। **अर्चित सैनी व अन्य बनाम द ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य (09.02.2018-S.C):MANU/SC/ 0105/2018** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया गया है कि मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले में दावेदारों को मामले में इतनी यात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी कि एक आपराधिक मुकदमें में। न्यायालय को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढंग से दुर्घटना कारित किए जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिये संभव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।

१०. प्रस्तुत प्रकरण में याची की ओर से **९सी१/२ सत्य प्रतिलिपि तहरीर** के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची राजेन्द्र कुमार ने दिनाँक ३१.०३.२०१२ को थानाध्यक्ष, चिरगाँव, झाँसी को दी गई तहरीर में यह अंकित कराया है कि वह दिनाँक २३.०३.२०१२ रात्रि ड्यूटी हेतु ट्रक डम्पर नं. यू.पी. ९३टी ४२४८ जिसमें गिट्टी लदी थी, के ड्राईवर को ₹ १० देकर बैठा था, झाँसी से पारीछा केबिन के लिये बैठा था। समय करीब रात्रि १० बजे जब पारीछा केबिन के सामने पहुँचे तो उसने ड्राईवर से ट्रक रोकने को कहा, उसने लापरवाही से यकायक बीच सड़क पर ब्रेक मारकर गाड़ी खड़ी कर दी। वह खिड़की खोलकर उतरने लगा। एक पैर ट्रक के बाहर था, एक अन्दर था तब तक पीछे से दूसरा ट्रक जगह कम होने के कारण निकल नहीं सका, डम्पर में टक्कर मार दिया जिससे डम्पर और ट्रक पलट गए व उसे तथा बैठी हुई अन्य सवारियों को गम्भीर चोटें आईं व उसका बांया पैर टूट गया। मण्डल रेलवे चिकित्सायलय, झाँसी में दाखिल है। **१२सी१/२ प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि** के अवलोकन से स्पष्ट स्पष्ट है कि उक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रश्नगत ट्रक नं. एम.पी. ०९एजी ३७२५ के पंजीकृत स्वामी हजारी प्रसाद दीक्षित (विपक्षी सं. ४) द्वारा दिनाँक २३.०३.२०१२ की दुर्घटना की सूचना थाना चिरगांव, झाँसी में दूसरे दिन दिनाँक २४.०३.२०१२ को ५:४० ए.एम. पर ट्रक डम्पर नं. यू.पी. ९३टी ४२४८ के चालक नाम पता अज्ञात के विरूद्ध दर्ज कराई गई है। **११सी१/२ आरोप पत्र की सत्य प्रतिलिपि** के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण की दुर्घटना में बाद सम्पन्न करने विवेचना विवेचक द्वारा रामजी पुत्र हरदास (विपक्षी सं. २) चालक डम्पर नं. यू.पी. ९३टी ४२४८ के ही विरूद्ध धारा २७९, ३३७, ३३८, ३०४ए, ४२७ आई.पी.सी. के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। **१३सी१/२ नक्शा नजरी** भी प्रस्तुत प्रकरण की दुर्घटना के संबंध में विवेचनाधिकारी द्वारा बनाया गया है जो निम्नवत् हैः-

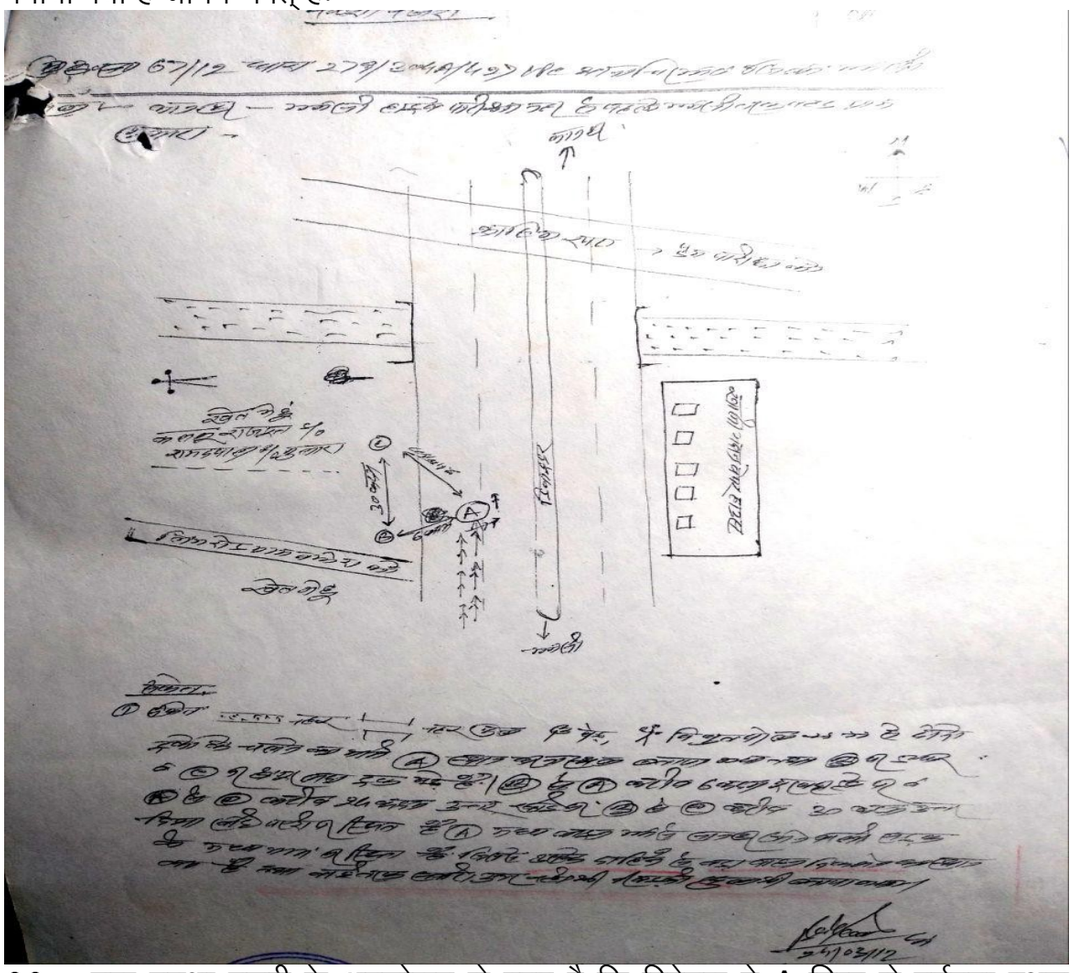

११. उक्त नक्शा नजरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचक ने A चिन्ह से दुर्घटना स्थल दर्शया है जो स्थान प्रस्तुत दुर्घटना के संबंध में बताये गये स्थान से मेल खाता है।

१२. इसके अतिरिक्त **रिकॉर्ड कीपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उ.म.रे., झाँसी** द्वारा फेहरिस्त ६६से१ से याची राजेन्द्र कुमार की दाखिल बी.एच.टी. की सत्यापित छाया प्रति से भी याची को दुर्घटना में चोटें आने की पुष्टि होती है।

१३. पी.डब्लू.१ के रूप में याची ने अपनी याचिका के उपेक्षा के बिंदु पर अभिकथनों के विपरीत करते हुये कथन किया है कि उसने अपनी जो रिपोर्ट लिखाई थी वह पुलिस वालों के बताने व बोलने पर लिखाई थी। बाद में मालूम पड़ा कि पुलिस ने मुझसे गलत ट्रक के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी है। दुर्घटना ट्रक नं. एम.पी. ०९एचजी ३७२५ के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण पीछे से टक्कर मारने के कारण घटी थी। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि अगर पुलिस ने उससे ट्रक नं. ९३टी ४२४८ के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी हो तो गलत है। उक्त दुर्घटना डम्पर नं. एम.पी. ०९एचजी ३७२५ के चालक की गलती, तेजी व लापरवाही के कारण घटित हुई थी।ट्रक नं. यू.पी. ९३टी ४२४८ से वह उतर चुका था। उक्त दुर्घटना में उक्त ट्रक का कोई एनवोलमेन्ट नही था और न उक्त ट्रक से मुझे कोई चोटें आई थी। जबकि विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी **डी.डब्लू.२** रामजी चालक डम्पर नं. ९३टी ४२४८ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथित दिनाँक को दुर्घटना का होना स्वीकार किया है तथा यह कथन किया है कि उसने ब्रेक लगाया तो पीछे से आ रहे डम्पर/ट्रक सं. एम.पी. ०९एचजी ३७२५ जिसे उसका चालक तेजी व लापरवाही से चला रहा था, उसने पीछे से उसके डम्पर में जोरदार टक्कर मारी जिससे डम्पर व ट्रक पलट गये जिससे ट्रक नं. एम.पी. ०९एचजी ३७२५ के क्लीनर की मृत्यु हो गयी थी तथा उसका डम्पर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके डम्पर मे कोई सवारी नही बैठी थी। प्रतिपरीक्षा में भी इस साक्षी ने उक्त आशय से ही कथन किये है। मेरे विचार से ट्रक चालक अपनी अलग की आमदनी के लिए वाहन स्वामी की इजाजत के बिना किराये पर सवारियाँ बैठालते है। **डी.डब्लू.२** रामजी चालक डम्पर नं. ९३टी ४२४८ ने अपने बचाव मे याची के उसके ट्रक मे यात्रा करने से इंकार किया है।

१४. याची के द्वारा थाने पर एक प्रार्थना पत्र प्रपत्र सं. ९सी१/२ दि. ३१.०३.२०१२ को दिया गया है जिसमे दो वाहनों के मध्य टक्कर होने का कथन किया गया है जिसका हवाला विवेचनाधिकारी ने अपने आरोप पत्र प्रपत्र सं. ११सी१/२ मे भी दिया है। दि. २४.०३.२०१२ के रेलवे चिकित्सालय के चिकित्सीय पर्चे प्रपत्र सं. ६७सी१/५ मे चिकित्सक ने दिनाँक २३.०३.२०१२ की RTA मे याची को चोटें आने का उल्लेख किया है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि याची को उक्त दुर्घटना मे ही चोटें आयीं हैं। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध उक्त समस्त साक्ष्य के परिशीलन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनाँक २३.०३.२०१२ को समय करीब १०:०० बजे रात पारीछा केबिन के पास थाना पारीक्षा में जब याची राजेन्द्र कुमार झा अपनी ड्यूटी करन के लिए डम्पर नं. यू.पी. ९३ टी४२४८ में १० रुपया किराया देकर बैठा था। उक्त डम्पर में गिट्टी लदी थी। तब याची ने पारीछा केबिन के पास ट्रक को रोकने के लिए कहा तो उक्त ट्रक ड्राईवर ने तेजी व लापरवाही से ट्रक चलाकर एकाएक बीच सड़क पर ट्रक के ब्रेक लगाकर ट्रक खड़ा कर दिया। याची गेट खोलकर उतरने लगा। याची का एक पैर ट्रक के अंदर था तथा एक पर ट्रक के बाहर था तभी एक डम्पर नं. एम.पी. ०९एचजी ३७२५ ने खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे दोनों डम्पर पलट गये तथा याची उक्त डम्पर के नीचे दब गया तथा उसे गम्भीर चोटें आई तथा उक्त दुर्घटना कारित करने में उक्त दोनों वाहनों डम्पर नं. यू.पी. ९३टी ४२४८ व ट्रक नं. एम.पी. ०९एच.जी. ३७२५ के चालकों की ५०-५० प्रतिशत योगदायी उपेक्षा है। **तदनुसार वाद बिन्दु सं. १** निर्णीत किया जाता है।

१५. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या २</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में याची व विपक्षीगण की ओर से डम्पर नं. ए.पी. ०९एचजी ३७२५ के चालक के ड्राईविंग लाइसेंस की प्रति दाखिल नहीं की गई है। अतः साक्ष्य के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि दुर्घटना के समय डम्पर नं. ए.पी. ०९एचजी ३७२५ चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था।

१६. किन्तु विपक्षीगण सं. १ व २ की ओर से डम्पर नं. यू.पी. ९३टी ४२४८ के चालक विपक्षी सं. २ रामजी की चालन अनुज्ञप्ति ४२सी१ दाखिल की गई है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि यह चालन अनुज्ञप्ति दिनाँक १३.१२.२०११ से १२.१२.२०१४ तक एल.एम.वी. व एच.जी.वी. प्राईवेट चलाने हेतु वैध व प्रभावी है। उक्त चालन अनुज्ञप्ति का खंडन विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। दुर्घटना दिनाँक २३.०३.२०१२ की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना के सम **डम्पर नं. एम.पी. ०९एचजी ३७२५ के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस नहीं था** किन्तु दुर्घटना के समय डम्पर नं. यू.पी. ९३टी ४२४८ के चालक विपक्षी सं. २ रामजी की चालन अनुज्ञप्ति वैध व प्रभावी थी। तदनुसार **वाद बिन्दु सं. २** निर्णीत किया जाता है।

१७. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ३</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में याची व विपक्षीगण की ओर से डम्पर नं. ए.पी. ०९एचजी ३७२५ की बीमा पॉलिसी की प्रति दाखिल नहीं की गई है। अतः साक्ष्य के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि दुर्घटना के समय डम्पर नं. एम.पी. ०९ एच जी ३७२५ न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. से बीमित था।

१८. किन्तु विपक्षीगण सं. १ व २ की ओर से डम्पर नं. यू.पी. ९३टी ४२४८ की बीमा पॉलिसी की छाया प्रति ४१सी१ व विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से ७०सी१/२ पत्रावली पर दाखिल की गयी है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि डम्पर नं. यू.पी. ९३टी ४२४८ का बीमा दिनाँक ०१.०२.२०१२ से ३१.०१.२०१३ तक वैध व प्रभावी है। उक्त बीमा पॉलिसी का खंडन किसी भी पक्ष द्वारा नहीं किया जा सका है। दुर्घटना दिनाँक २३.०३.२०१२ की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि **दुर्घटना के समय डम्पर नं. एम.पी. ०९एचजी ३७२५ न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. से बीमित नहीं था** किन्तु दुर्घटना के समय डम्पर नं. यू.पी. ९३ टी४२४८ विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी से बीमित था। तदनुसार **वाद बिन्दु सं. ३** निर्णीत किया जाता है।

१९. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ४</u>

वाद बिन्दु सं. १ के निस्तारण से यह साबित है कि दिनाँक २३.०३.२०१२ को समय करीब १०:०० बजे रात पारीछा केबिन के पास थाना पारीक्षा में जब याची राजेन्द्र कुमार झा अपनी ड्यूटी करने के लिए डम्पर नं. यू.पी. ९३टी ४२४८ में १० रुपया किराया देकर बैठा था। उक्त डम्पर में गिट्टी लदी थी। तब याची ने पारीछा केबिन के पास ट्रक को रोकने क लिए कहा तो उक्त ट्रक ड्राईवर ने तेजी व लापरवाही से ट्रक चलाकर एकाएक बीच सड़क पर ट्रक के ब्रेक लगाकर ट्रक खड़ा कर दिया। याची गेट खोलकर उतरने लगा। याची का एक पैर ट्रक के अंदर था तथा एक पैर ट्रक के बाहर था तभी एक डम्पर नं. एम.पी. ०९एचजी ३७२५ ने खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे दोनों डम्पर पलट गये तथा याची उक्त डम्पर के नीचे दब गया तथा उसे गम्भीर चोटें आई तथा उक्त दुर्घटना कारित करने में उक्त दोनों वाहनों डम्पर नं. यू.पी. ९३टी ४२४८ व ट्रक नं. एम.पी. ०९एचजी३७२५ के चालकों की ५०-५० प्रतिशत तेजी, लापरवाही व योगदायी उपेक्षा है। चूँकि याची को उक्त दुर्घटना में चोटें आई है अतः याची प्रतिकर की धनराशि ५०-५० प्रतिशत के अनुपात में प्राप्त करने का अधिकारी है।

२०. अब यह देखना है कि याची किस पक्षकार से कितनी प्रतिकर की धनाराशि पाने का अधिकारी है ? विपक्षी संख्या ३ प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी इरगो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची डम्पर नं. यू.पी. ९३टी ४२४८ में बतौर पेड यात्री सफर कर रहा था तथा विपक्षी सं. १ व २ द्वारा बीमा पॉलिसी का उल्लंघन किया है अतः वह याची को क्षतिपूर्ति धनराशि अदायगी करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। याची ने पी.डब्लू.१ के रूप में तथा अपनी याचिका में यह कथन किया है कि वह डम्पर नं. यू.पी. ९३टी ४२४८ में १० रु. किराया देकर यात्रा कर रहा था। **डी.डब्लू.१** मैनेजर एच.डी.एफ.सी. ने कथन किया है कि यू.पी. ९३टी ४२४८ याची अवैध रूप से बैठा था अतः उनकी बीमा कंपनी उत्तरदायी नही है। अतः मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याची को अपने ५० प्रतिशत भाग की प्रतिकर धनराशि अदा करने के लिये उत्तरदायी नहीं है। वाद बिन्दु सं. २ व ३ के निष्कर्ष से यह साबित है कि प्रश्नगत डम्पर नं. एम.पी. ०९एच जी ३७२५ के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध व प्रभावी चालक लाईसेंस नहीं था और न ही उक्त वाहन दुर्घटना के समय किसी बीमा कम्पनी से बीमित था। अतः प्रस्तुत याचिका में **याची विपक्षी सं. १ राजकुमार व विपक्षी सं. ४ हजारी प्रसाद दीक्षित क्रमशः डम्पर नं. यू.पी. ९३टी ४२४८ व डम्पर नं. एम.पी. ०९एचजी ३७२५ के पंजीकृत स्वामियों व चालकों से ५०-५० प्रतिशत के अनुपात में प्रतिकर धनराशि याची को अदा करने के लिए उत्तरदायी है।**

<u>क्षतिपूर्ति की गणना-</u>

२१. याची की ओर से अपनी याचिका में कथन किया गया है उसे उक्त दुर्घटना में गम्भीर चोटें आई हैं तथा उसके बांये पैर व बांये हाथ में फ्रेक्चर हुए और रेलवे अस्पताल में तीन बार भर्ती रहकर उसके ऑपरेशन किये गये। याची की ओर से पी.डब्लू.१ के रूप में उक्त कथनों के समर्थन में साक्ष्य दी है तथा रेलवे अस्पताल की याची की बी.एच.टी फेहरिस्त ६६से१ से सत्यापित छाया प्रति ६७सी१/१ लगायत ६७सी१/५८ दाखिल की गई है। उक्त बी.एच.टी. में याची को कोई फ्रेक्चर आने का उल्लेख है। उसके बांये पैर मे ऑपरेशन किये जाने का उल्लेख है। याची का इलाज सरकारी अस्पतालों में लगभग ११ माह हुआ है। याची ने पी.डब्लू.१ के रूप में कथन किया है कि उसका इलाज में ४,००,००० रु. खर्च हो गया है किन्तु याची की ओर से अपने कथनों व मौखिक साक्ष्य के समर्थन में कोई अभिलेखीय साक्ष्य एवं दवाओं के बिल इत्यादि दाखिल नहीं किये हैं। संभव है रेलवे मे मुफत इलाज चला हो क्योंकि याची रेलवे मे ए.एस.एम. के

पद पर था। चोटों के कारण वेतन न मिलने व प्रमोशन न मिलने का कोई अभिलेखीय साक्ष्य नही है।

२२. अतः मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये याची को हुये शारीरिक व मानसिक कष्ट व पौष्टिक आहार के मद में कुल मिलाकर लम्पसम **५०,००० रु. (पचास हजार)** क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा इस धनराशि पर ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने के दिनाँक से वास्तविक भुगतान के दिनाँक तक याची को दिलाया जाना उचित होगा। **वाद बिन्दु सं. ४** तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

आदेश

याची की याचिका विपक्षी सं. १ राज कुमार परेचा डम्पर नं. यू. पी. ९३ टी ४२४८ के पंजीकृत स्वामी व विपक्षी सं. २ चालक के विरुद्ध संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से २५,०००/- (पचीस हजार) रु. मय ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने के दिनाँक से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से तथा विपक्षी सं. ४ हजारी प्रसाद दीक्षित ट्रक नं. एम.पी. ०९च जी ३७२५ के पंजीकृत स्वामी व विपक्षी सं. ५ चालक के विरूद्ध संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से २५,०००/- (पचीस हजार) रु. मय ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने के दिनाँक से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं. १, २, ४ व ५ को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त प्रतिकर की धनराशि निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी को भुगतान करें।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनाँक ०९.१२.२०२० (चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, झाँसी

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले वर्चुअल न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनाँक ०९.१२.२०२० (चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, झाँसी

Para 6 corrected vide order dated 11.12.2020

PO, MACT, JHANSI
11.12.2020